न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
04 / 2024	03.12.2024	27.10.2025

पीठासीन अधिकारी–श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जमनालाल पुत्र गोपाल जाति तेली निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रार्थी)

बनाम

1– पन्नालाल पुत्र बद्रीलाल जाति तेली निवासी मोरपा तह0 दीगोद जिला कोटा राज0।
2– कालूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति तेली निवासी मोरपा तह0 दीगोद जिला कोटा राज0।
3– गुड्डी बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी रमेशचन्द जाति तेली निवासी श्रीपुरा विहार तेलियों के छात्रावास के पास कुंभा नगर बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0।
4– पुष्पाबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी बैजनाथ जाति तेली निवासी देगनिया तह0 सांगोद जिला कोटा राज0।
5– सूरजाबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी दौलतराम जाति तेली निवासी रोटेदा रोड बस स्टेण्ड के पास कापरेन तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0।
6– रामावतार पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासी मोरपा तह0 दीगोद जिला कोटा राज0।
7– कलावती बाई पुत्री माधोलाल पत्नी बनवारी जाति तेली निवासी शिव कॉलोनी खेरदा, सवाई माधोपुर राज0।
8– राधे पुत्री माधोलाल पत्नी पिन्टू राठौर जाति तेली निवासी स्कोन टेम्पल रोड मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर राज0।
9– राममूर्ति बाई पत्नी माधोलाल जाति तेली निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
10– संतोष बाई पुत्री माधोलाल पत्नि जगदीश जाति तेली निवासी मेलखेड़ी तहसील बांरा जिला बांरा राज0।
11– सुशीलाल बाई पुत्री माधोलाल पत्नि गोविन्द जाति तेली निवासी कराड़िया तह0 दीगोद जिला कोटा राज0।
12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थीगण)

1– प्रार्थीगण की ओर से– श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट
2– अप्रार्थी कम 1 ता 4 एवं 6 ता 11 की ओर से –श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह है कि उक्त उनवान वाके माल ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 23 पुराना 22 ख0नं0 144/162 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 17 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 211 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 217 रकबा 1.74 है0, किता 4 रकबा 3.74 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगणके सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है।

यह कि पक्षकारो का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

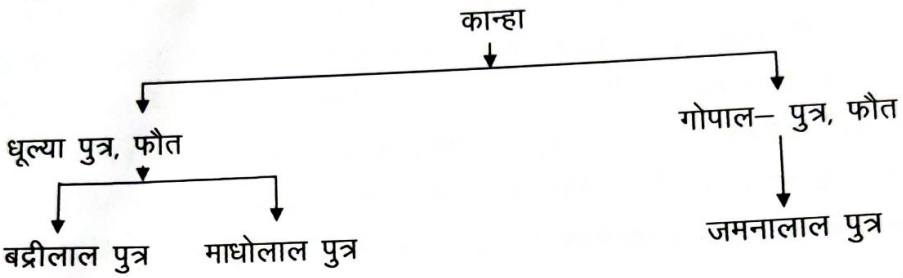

यह कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण के पिता व पति के आपसी सहमति से पारिवारिक मौखिक बटवारा ग्राम मोरपा ग्राम शाहपुरा ग्राम नापाहेडा की भूमि मे हो गया. जिसके अनुसार ग्राम शाहपुरा की भूमि में गोपाल जी के कब्जे काश्त में सम्पूर्ण भूमि कब्जे काश्त में आई थी तथा ग्राम नापाहेडा की भूमि में 7 बीघा भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व कब्जा काश्तनुसार अधिक भूमि अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा खाते दर्ज करवा ली, जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है तथा ग्राम शाहपुरा की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिस पर वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम नापाहेडा की भूमि सम्वत 2009 की जमाबन्दी के अनुसार 28 बीघा 6 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी अप्रार्थी के पति व पति के द्वारा प्रार्थी के पिता के 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा भूमि सेटलमेन्ट विभाग से मिलीभगत कर खाते दर्ज करवा लिया, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को प्रार्थी के पिता की अनुमति के बिना हिस्सा दर्ज करने के अधिकार नहीं थे। प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी के पिता व पति के द्वारा आपसी सहमति से नापाहेडा की भूमि में हिस्सा नहीं लेकर कब्जे काश्तानुसार शाहपुरा की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्राप्त किया तथा नापाहेडा की भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा 3/4 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया, ग्राम नापाहेडा की भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा 3/4 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया, नापाहेडा का खेत का वह पूरा एक होने से अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा स्वय के पास रखा, बदले में ग्राम शाहपुरा की

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

भूमि पर प्रार्थी के पिता को समला दिया उसी अनुसार प्रार्थी आज भी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी ग्राम शाहपुरा की भूमि का खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। यह कि प्रार्थी वाके माल ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद में खाता सं० नया 23 पुराना 22 ख0नं0 144/162 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 17 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 211 रकबा 1.12 है0 ख0नं0 217 रकबा 1.74 है0, किता 4 रकबा 3.74 है0 भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त होने से तथा अप्रार्थीगण के पिता द्वारा ग्राम नापाहेडा मे 3/4 हिस्से पर प्राप्त करने से अप्रार्थीगण का ग्राम शाहपुरा की भूमि में कोई हिस्सा, हक नहीं होने से अप्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल व माधोलाल का नाम खाते से हटाया जाकर इनके 1/2 हिस्से की भूमि पर तथा प्रार्थी के 1/2 की भूमि सहित सम्पूर्ण आराजियात का प्रार्थी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यह कि प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करे, रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नही करें, प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने से नही रोके, प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यह कि यदि अप्रार्थीगण अपने उका मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति मुदा से किया जाना संमत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे–कि वाके माल ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद में खाता सं० नया 23 पुराना 22 ख0नं0 144 / 162 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 17 रकबा 0.63 हे०, ख0नं0 211 रकबा 1.12 हे० ख0नं0 217 रकबा 1.74 हे0, किता 4 रकबा 3.74 हे० भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करे, रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नहीं करें, प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने से नही रोके, प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसीप्रतिनिधि से करावे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण जारी फरमायी जावे।

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 ग्राम शाहपुरा
2– नकल जमाबन्दी सम्वत 2025–2028 ग्राम नापाहेडी
3– नकल जमाबन्दी सम्वत 2025–2078 ग्राम नापाहेडी
4– नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–2022 ग्राम नापाहेडी

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

5– नकल जमाबन्दी सम्वत 2009 ग्राम नापाहेडी
6– नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–2022 ग्राम शाहपुरा
7– नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम नापाहेडी
8– नकल जमाबन्दी सम्वत 2038–39

प्रार्थी अधि0 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अप्रार्थीगण की तलवी विधिवत करवायी गयी। अप्रार्थी कम 1 ता 4 एवं 6 ता 11 की ओर से अधि0 छीतरलाल गोचर ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण अधि0 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की म नं0 4 भूमियों का आपसी सहमति से विभाजन होकर सही रूप से भूमिया खाते दर्ज की गयी है। शाहपुरा की भूमि पर प्रार्थी का 1/2 हिस्स पर तथा प्रतिपक्षीगण का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम शाहपुरा की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 5 जिस प्रकार लिखी गयी है स्वीकार नहीं है। रोटल विभाग द्वारा पक्षकारों प्रार्थी व प्रतिपक्षी के पिता की आपसी सहमति के आधार पर ही भूमियां खाते दर्ज की है। ग्राम शाहपुरा की सम्पूर्ण भागे का प्राप्यर्थी खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 स्वीकार नहीं है। ग्राम शाहपुरा की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। ग्राम नापा हेडा की भूमि में प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के पिता की आपसी रजामन्दी से 3/4 हिस्सा व शाहपुरा की भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा सही तोर पर प्रार्थी के पिता व प्रतिपक्षीगण के पिता के नाम दर्ज किया गया है। ग्राम शाहपुरा की प्रतिपक्षीगण के 1 हिस्से की भूमि का प्रार्थी खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ग्राम शाहपुरा की भूमि में प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण 1/2, /2 हिस्से के सहखातेदार है तथा सहखातेदार के खिलाफ स्थायी निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकते है यह कि प्रार्थना पत्र की मद न० 8 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का केस प्राइमा फेसी केस नहीं है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है और न अपरिमित क्षति होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है। विशेष आपत्तियाँ

- यह कि प्रार्थी के गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर व सही तथ्यों को छिपा कर प्रार्थना व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।
- यह कि प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। अतः वाद कारण के अभाव में दावा न प्रार्थना प्रार्थी खारिज होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

- यह कि ग्राम शाहपुरा की सम्पूर्ण भूमि पर प्राथी का कोई कब्जा नहीं है। ग्राम नापा हेडा की भूमि में प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के पिता की आपसी रजामन्दी से 1/4 व 3/4 हिस्सा व शाहपुरा की भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा सही तोर पर प्रार्थी के पिता व प्रतिपक्षीगण के पिता के नाम दर्ज किया गया है। ग्राम शाहपुरा की प्रतिपक्षीगण के 1/2 हिस्से की भूमि का प्रार्थी खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। उक्त प्रकरण को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के कथनों को दोहराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिये प्रकरण में निम्न शर्तो की पालना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है ?

उपरोकत निर्धारित शर्तो के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन अध्ययन करने पर हम पाते है कि विवादित आराजी वर्तमान में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर उभयपक्ष में है। चुंकि विवादित आराजी वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। यद्यपि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा भी प्रमाणित नहीं है तथापि संयुक्त खातेदारी की आराजी में उभयपक्ष का ही कब्जा माना जाता है। अतः विवादित आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में न होकर उभयपक्ष के पक्ष में है। वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, जिससे विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभावित होगी।

उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी उभयपक्ष की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण यह केवल प्रार्थी का प्रथम

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

दृष्ट्या मामला नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी उभयपक्ष में ही है। प्रसतुत प्रकरण में किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने पर दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति होना संभावित होगा।

अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्व निषेधाज्ञा इस आशय कि प्रसारित की जाती है कि ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद में खाता सं० नया 23 पुराना 22 ख0नं0 144/162 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 17 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 211 रकबा 1.12 है0 ख0नं0 217 रकबा 1.74 है0, किता 4 रकबा 3.74 है0 भूमि में प्रार्थी के हिस्से तक की मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाते है। जो तावाद कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)